अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

वाद संख्या : 13 /2022-23

नाम :– श्री रेब्ह निकोलस नाग,
पिता/पति :– स्व० मर्टिन नाग,
मौजा :– टांगरपोखरिया

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
1	2	3
24/8/22	आवेदक श्री/श्रीमति– रेब्ह निकोलस नाग, पिता/पति– स्व० मर्टिन नाग, ग्राम– टांगरपोखरिया, थाना सं०– 148 के द्वारा मौजा– तांतनगर, थाना सं०– 212, खाता सं०– 04, प्लॉट सं० क्रमशः 2652, 2653 एवं 3104 रकवा क्रमशः 0.04, 3.45 एवं 0.67 एकड़ भूमि ऑनलाईन पंजी–II में दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 08.09.2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी तांतनगर।	
08.09.22	अभिलेख उपस्थापित सर्व साधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन अप्राप्त है। ग्रामीण। मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक स्वं का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक - 13-09-2022 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) अंचल अधिकारी तांतनगर	
13.09.2022	अभिलेख उपस्थापित। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं ~~अंचल निरी~~ राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का	

P.T.O

प्राप्त हुआ है। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार मौजा-टांगर पोखरिया थाना सं०-212 खाता सं०-4, प्लॉट सं०-2652, 2653 और 3104 रकबा क्रमशः 0.04 ए०, 3.45 ए० एवं 0.64 ए० किस्म जमीन क्रमशः मकान गिरजाघर, गोड़ा के कब्र स्थान है। जांच प्रतिवेदन उक्त भूमि अंचल कार्यालय तांतनगर के Countinous खतियान में मौजा- टांगर पोखरिया के खाता सं०-4 में छोटानागपुर डिविजनल ह्यूमन एसोसिएशन के नाम पर दर्ज है। ग्रामीण मुण्डा के पास रैयत पंजी II में भी उक्त जमीन छोटानागपुर डिविजनल ह्यूमन एसोसिएशन के नाम पर दर्ज है। ग्रामीण मुण्डा के उक्त भूमि का लगान वर्तमान में किसी के द्वारा नहीं काटा जाता है। उक्त भूमि पर लगभग 20-25 वर्ष पूर्व गिरजाघर बना हुआ था। ग्रामीण मुण्डा के ~~कथन~~ अनुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर मौजा टांगर पोखरिया के कुछ क्रिश्चियन संगठन के लोगों द्वारा खेती किया। उक्त भूमि का पंजी-II में ऑनलाईन दर्ज करने हेतु पादरी श्री रेजन निकोलस नाग के द्वारा अंचल कार्यालय में आवेदन किया है, परन्तु मौजा टांगर पोखरिया ग्रामीणों द्वारा दिनांक-12-09-2022 को मौजा टांगर पोखरिया में ग्रामीण मुण्डा श्री दुर्गाचरण कुंकल की अध्यक्षता बैठक में उक्त भूमि का विरोध किया एवं online दर्ज करने हेतु विरोध किया

अतः ग्राम सभा में विरोध के कारण उक्त भूमि का पंजी-II में दर्ज करना सही प्रतीत नहीं होता है एवं आवेदन को रद्द ~~करते हुए~~ किया जाता है।

Digitally signed by ANOJ KUMAR
Date: 2025.06.06 16:17:48 +05:30
Location: 192.168.158.171

अंचल अधिकारी
तांतनगर